(117)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3764–तीन/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक निरंक पारित द्वारा न्यायालय राजस्व निरीक्षक नीमच, प्रकरण कमांक 112/अ–12/2013–14.

.....

1–श्रीमती रेशमा देवी पति अखेसिंह जी कोठारी
2–मनीष कुमार पिता श्री अखेसिंह जी कोठारी
3–आशीष कुमार पिता श्री अखेसिंह जी कोठारी
निवासी गण चौकन्ना बालाजी के पास नीमच केंट
तहसील व जिला नीमच ..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–श्रीमती उपमादेवी पति श्री दिनेश कुमार गोयल
2–श्रीमती अंजुला पति आशीष गोयल
निवासीगण नीमच तहसील व जिला नीमच
.....अनावेदकगण

श्री एस0के0वाजपेयी, अभिभाषक– आवेदकगण
श्री आर0डी0शर्मा, अभिभाषक– अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 24/5/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक नीमच द्वारा पारित आदेश दिनांक निरंक के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदिका द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम कनावटी की भूमि सर्वे नम्बर 1/3 रकबा 2.090 हेक्टेयर भूमि का सीमांकन किया जाये । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण 112/अ–12/13–14 दर्ज कर सीमांकन हेतु तारीख पेशी दिनांक 20–7–14 नियत की गई। उक्त दिनांक को प्रकरण नहीं लिया गया और सीधे ही आदेश दिनांक निरंक को पारित कर सीमांकन कार्यवाही कर दी गई । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक नीमच द्वारा जो सीमांकन आदेश पारित किया गया है उसमें आवेदक सहित मेढिया कृषकों को सूचना पत्र दिये बगैर व उन्हें सुनवाई एवं पक्षसमर्थन का कोई अवसर नहीं दिया गया है इसलिये वह अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमांकन हेतु पेशी दिनांक 20–7–2014 नियत की गई थी किन्तु उक्त दिनांक को सीमांकन प्रकरण नहीं लिया गया और बिना दिनांक निर्धारित किये ही प्रकरण में आदेश पारित कर दिया गया है जो कि प्रथमदृष्टया ही अपास्त किये जाने योग्य है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि स्थल निरीक्षण नहीं किया गया व बिना स्थल पर कोई जॉच किये बगैर पंचनामा बनाया गया है तथा कार्यालय में बैठकर समस्त सीमांकन की कार्यवाही की गई है, जो अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 129 में सीमांकन कार्यवाही के नियम निर्मित किये गये हैं, इस प्रकरण में सीमांकन अधिनियम एवं नियमों के विपरीत कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक नीमच द्वारा आदेश निरंक अपास्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदकगण के भूमिस्वामी स्त्व की भूमि का स्थल पर जाकर संबंधितों को सूचना दी जाकर उपस्थित पंचों के समक्ष सीमांओं के निशानात कायम किये गये थे, जो विधिवत् है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं है ।

(2) अनावेदकगण की भूमि की सीमांओं के निशानात कायम करने पर अनावेदकगण की उपयुक्त भूमि के कुल रकबा 2.090 हेक्टेयर में से 1.050 हेक्टेयर रकबे पर वर्तमान आवेदकगण का अबैध कब्जा पाया गया है । आवेदकगण द्वारा यह निगरानी केवल इसलिये की गई है कि वे अनावेदकगण की भूमि पर अवैध

कब्जा बरकरार बनाये रख सके । यदि आवेदकगण का अनावेदकगण की भूमि पर अवैध कब्जा नहीं है तब वह अपनी भूमि का सीमांकन कराने के लिये स्वतंत्र है ।

(3) आवेदकगण द्वारा तर्क के समय प्रस्तुत दस्तावेज से यह प्रकट हुआ था कि नक्शा जीर्णशीर्ण था इस कारण सीमांकन नहीं किया जा सकता था यह तर्क बेबुनियाद है, क्योंकि किसी भी भूमिस्वामी के किसी भी सर्वे नम्बर का रकबा कम या अधिक है यह जानकारी रकबा जरीब से एवं जरीब के अभाव में लठ्ठा से नापकर उसका क्षेत्रफल निकाल जा सकता है । इस कारण आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी एवं किये गये तर्क कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमांकन विधिवत् नहीं किया गया है, स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है । आवेदकगण को अनावेदकगण के सीमांकन के विरूद्ध कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है । आवेदकगण अपनी भूमि का सीमांकन कराने के लिये स्वतंत्र हैं । उनके द्वारा निगरानी निराधार होने से निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। राजस्व निरीक्षक के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् स्थल निरीक्षण कर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया गया है तथा इसी का प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया गया है । राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थल निरीक्षण की पुष्टि करने में पंचनामा भी तैयार कराया गया है जिसमें ग्रामवासियों के हस्ताक्षर है । आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्थल निरीक्षण में क्या त्रुटि हुई है, गुणदोष पर इस संबंध में कोई बिन्दु नहीं उठाया गया है । ऐसी स्थिति में आवेदकगण को स्थल निरीक्षण हेतु सूचित करने का बिन्दु महत्वहीन हो जाता है । दर्शित परिस्थितियों में राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक नीमच द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर